क्रम-संख्या —205 (ख–1)

रजि० नं० एल. डब्लू. /एन. पी. 890

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०–41

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 अगस्त, 1998

भाद्रपद 6, 1920 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्मिक अनुभाग–2

संख्याः 20/1–91–टी० सी०–97–का०–2

लखनऊ, 28 अगस्त, 1998

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा० प० नि०–40

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1998 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश (उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, 1998 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 1 में, उप नियम (3) में, वर्तमान खण्ड (एक) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड (एक–क) बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:–

"(एक–क) जिनकी विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा प्रमाण-पत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अर्हता से कम हो।"

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3—उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सीधी भर्ती की प्रक्रिया 5—(1) सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां निम्नलिखित रीति से अधिसूचित की जायेगी :–	सीधी भर्ती की प्रक्रिया 5—(1) सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप, सरकार द्वारा, ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।
(एक) ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,	
(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और	
(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियाँ अधिसूचित करके।	
(2) चयन के विचारार्थ आवेदन-पत्र उपनियम (1) के अधीन जारी विज्ञापन में प्रकाशित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे।	(2) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से सीधी भर्ती के लिए आवेदन-पत्र उपनियम (1) में प्रकाशित प्रारूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :
	(एक) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,
	(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चिपका कर या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार-पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके; और
	(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।
(3) अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :	(3) उपनियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन-पत्र का प्रारूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।
(क) (एक) चालीस प्रतिशत अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न-पत्र होगा। किसी पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा केवल बीस प्रतिशत अंकों की होगी।	
(दो) अभ्यर्थियों को, प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पत्र (दो प्रति में) दिये जायेंगे जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी।	
(ख) पद के विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों का तीस प्रतिशत अंक प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायगा।	

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(ग) छटनीशुदा कर्मचारी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो अधिकतम 15 प्रतिशत होगा :	
(एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए — 5 अंक	
(दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए — प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक	
(घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायेगा जो अधिकतम 5 प्रतिशत होगा :–	
(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — 5 प्रतिशत अंक	
(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — 4 प्रतिशत अंक	
(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — 3 प्रतिशत अंक	
(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/कालेज/ स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो — 2 प्रतिशत अंक	
(ङ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति हिन्दी टंकण या हिन्दी आशुलिपि और टंकण की परीक्षा बीस प्रतिशत अंकों की होगी।	
(4) (क) उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।	(4) चयन के लिए परीक्षा एक सौ अंकों की होगी। अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची निम्नलिखित रीति से तैयार की जायेगी :–
	(क) (एक) वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का चालीस प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायगा, सिवाय ऐसे अभ्यर्थियों के जिनका चयन किसी ऐसे पद पर किया जाना हो जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो। चयन किये जाने वाले

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	अभ्यर्थियों की दशा में लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायगा : परन्तु ऐसे पद जिनके लिए कोई शारीरिक मानक, अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किये गये हों, तो लिखित परीक्षा के पूर्व अभ्यर्थियों से विहित शारीरिक परीक्षण कराने की अपेक्षा की जायगी और केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम मानकों को पूरा करते हों। (दो) अभ्यर्थियों को, प्रश्न-पत्र एवं उत्तर-पत्र (दो प्रति में) दिये जायेंगे। जब परीक्षा समाप्त होगी तो अभ्यर्थियों को अपने साथ उत्तर-पत्र की कार्बन प्रति ले जाने की अनुमति दी जायेगी। (ख) पद के लिए विहित न्यूनतम अर्हता परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का तीस प्रतिशत प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जायेगा।
(ख) साक्षात्कार दस प्रतिशत अंकों का होगा साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :– (एक) विषय/सामान्य ज्ञान 4 प्रतिशत अंकों तक (दो) व्यक्तित्व निर्धारण 3 प्रतिशत अंकों तक (तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता 3 प्रतिशत अंकों तक टिप्पणी :–किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंकों के औसत की गणना करके अवधारित किये जायेंगे।	
(ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी दशा में साक्षात्कार के समय उपनियम (3) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी जायगी।	(ग) छटनीशुदा कर्मचारी को निम्न-लिखित रीति से अंक दिया जायगा जो चयन के लिये परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पन्द्रह प्रतिशत होगा : (एक) सेवा के प्रथम पूर्ण वर्ष के लिए पांच अंक (दो) सेवा के दूसरे और प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिये प्रत्येक वर्ष के लिये पांच अंक

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	(घ) किसी खिलाड़ी को निम्नलिखित रीति से अंक दिया जायगा जो चयन के लिये परीक्षा हेतु नियत कुल अंकों का अधिकतम पांच प्रतिशत होगा :
	(एक) यदि अभ्यर्थी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — पांच अंक
	(दो) यदि अभ्यर्थी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हो — चार अंक
	(तीन) यदि अभ्यर्थी राज्य स्तर का खिलाड़ी हो — तीन अंक
	(चार) यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय/ कालेज/स्कूल स्तर का खिलाड़ी हो — दो अंक
	(ङ) किसी ऐसे पद पर जिसके लिए टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण की परीक्षा होगी। उक्तः परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का बीस प्रतिशत केवल ऐसे अभ्यर्थियों को दिया जायगा जिन्होंने यथास्थिति टंकण या आशुलिपि और टंकण के लिये विहित न्यूनतम गति प्राप्त कर ली हो। टंकण मरीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। इस प्रयोजन के लिये, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुये, अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खण्ड (क), (ख), (ग) और (घ) के अधीन प्राप्त अंकों के आधार पर पृथक रूप से तैयार की जायगी।
(5) उपनियम (4) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उपनियम (3) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अन्तिम चयन सूची तैयार की जायगी यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर	(5) (क) उपनियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन लिखित परीक्षा और अन्य मूल्यांकनों के परिणाम प्राप्त हो जाने, और सारणीबद्ध कर लिये जाने के पश्चात् चयन समिति, नियम 4 में निर्दिष्ट आरक्षण के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार करेगी। साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी। किसी पद पर जिसके लिये टंकण या आशुलिपि और टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी।	किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में, केवल ऐसे अभ्यर्थियों को, जो उपनियम 4 के खण्ड (ङ) के अधीन यथास्थिति टंकण परीक्षा या आशुलिपि और टंकण परीक्षा में सफल हो गया हो, साक्षात्कार के लिये बुलाया जायगा। (ख) साक्षात्कार चयन हेतु परीक्षा के लिए नियत कुल अंकों के दस प्रतिशत अंकों का होगा। साक्षात्कार में अध्यक्ष और सभी अन्य सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक निम्नलिखित रीति से अंक दिये जायेंगे :– (एक) विषय/सामान्य ज्ञान — चार अंकों तक (दो) व्यक्तित्व निर्धारण — तीन अंकों तक (तीन) अभिव्यक्ति की क्षमता — तीन अंकों तक टिप्पणी:–किसी अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त किये गये कुल अंक चयन समिति के अध्यक्ष और सभी सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक रूप से दिये गये अंको के औसत की गणना करके अवधारित किये जायें। (ग) चयन समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को किसी भी दशा में साक्षात्कार के समय उप नियम (4) के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) और (ङ) के अधीन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जायगी।
(6) उपनियम (5) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायगी।	(6) उप नियम (5) के अधीन साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों को उप नियम (4) के अधीन प्राप्त किये गये अंकों में जोड़ दिया जायगा। इस प्रकार प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की जायगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायगा। यदि लिखित परीक्षा में भी दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी। (7) उप नियम (6) में निर्दिष्ट चयन सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जायगी।

4—उक्त नियमावली में, नियम 6 में, नीचे स्तम्भ 1 में दी गई वर्तमान टिप्पणी 2 के स्थान पर, स्तम्भ 2 में दी गयी टिप्पणियां रख दी जायगी, अर्थात् :— नियम 6 का संशोधन

स्तम्भ–1 वर्तमान टिप्पणी	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित टिप्पणियाँ
टिप्पणी 2 :–यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।	टिप्पणी 2 :–यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो तो ऐसी दशा में चयन समिति के सभी सदस्य उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को, जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हो, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसा विभागाध्यक्ष केवल साक्षात्कार करने के लिये एक से अधिक चयन समिति गठित कर सकता है। टिप्पणी 3 :—यदि किसी नियुक्ति प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार एक से अधिक जिले में हो तो उस दशा में भर्ती की प्रक्रिया उस जिले में की जायगी जिसमें नियुक्ति प्राधिकारी का मुख्यालय स्थित हो।

आज्ञा से,

सुधीर कुमार,

सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to ler the publication of the following English translation of notification no. 20/I-91-T.C.—97-Ka.-2, dated gust 28, 1998 :

No. 20/I-91-T.C.—97-Ka.-2,

Dated Lucknow, August 28, 1998

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group " Posts (Outside the purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules 1998.

THE UTTAR PRADESH PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT FOR GROUP 'C' POSTS (OUTSIDE THE PURVIEW OF THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION) (FIRST AMENDMENT) RULES, 1998

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for roup 'C' Posts (Outside the Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) (First mendment) Rules, 1998. Short title and commencement

(2) They shall come into force atonce.

Amendment of rule 1

2. In the Uttar Pradesh Procedure for Direct Recruitment for Group 'C' Posts (Outside the Purview of the Uttar Pradesh Public Service Commission) Rules, 1998, hereinafter referred to as the said Rules, in rule 1, in sub-rule (3) *after* existing clause (i) the following new clause (i-a) shall be *inserted*, namely :—

"(i-a) which have the prescribed minimum academic qualification lower than the Intermediate Examination Certificate of the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh or an equivalent qualification recognised by the Government."

Substitution of rule 5

3. In the said Rules, *for* existing rule 5, set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be *substituted*, namely :—

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
Procedure for direct recruitment	Procedure for direct recruitment
5. (1) For making direct recruitment the vacancies shall be notified in the following manner :—	5. (1) For making direct recruitment the Government shall publish the application form in daily news papers having wide circulation.
(i) by issuing advertisement in daily news papers having wide circulation,	
(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment news papers, and	
(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.	
(2) Application for being considered for selection shall be called in the form published in the advertisement issued under sub-rule (1)	(2) The appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the form published under sub-rule (1) and notify the vacancies in the following manner :—
	(i) by issuing advertisement in daily news paper having wide circulation,
	(ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Television and other Employment news papers, and
	(iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange.
(3) The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner :—	(3) The application form shall not be published again while notifying the vacancies under sub-rule (2)
(a) (i) There shall be an objetive type written examination of forty per cent marks consisting of a single question paper which will include General Hindi, General Knowledge and General Studies. In the case of	

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
(e) In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, there shall be a test of Hindi typewriting or Hindi shorthand and typewriting, as the case may be, of twenty percent marks only.	
(4) (a) After the results of the written examination and other evaluations under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (3) have been received and tabulated, the Selection Committee shall having regard to the provisions of reservation referred to in rule 4, hold an interview of candidates. The number of candidates to be called for interview shall be four times the number of the vacancies.	(4) The test for selection shall carry one hundred marks. The merit list of the candidates shall be prepared in the following manner:— (a) (i) there shall be an objective type written exmination consisting of a single question paper which will include General Hindi, General Knowledge and General Studies. Forty percent of the percentage of marks obtained in the written examination shall be given to each candidate except those candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typerwriting has been prescribed as an essential qualification. In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification twenty percent of the percentage of marks obtained in the written examination shall be given to such candidates: Provided that the posts for which some physical standards have been prescribed as essential qualification or as mode of recruitment for the post, the candidates shall be required to undergo prescribed physical tests before the written exmination and only those candidates shall be allowed to appear in the test for Selection who come upto the minimum standards prescribed for the post.

COLUMN 1 *Existing rule*	COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*
	(ii) The question paper-cum-answer sheet (in duplicate) shall be provided to the candidates. When the examination is over, the candidates shall be alllowed to carry back the carbon copy of the answer-sheet with them.
(b) The interview shall carry ten percent marks. Marks at the interview shall be awarded by the Chairman and all other Members separately in the following manner:—	(b) Thirty percent of the percentage of marks obtained at the minimum qualifying examination prescribed for the post shall be given to each candidate.
(i) Subject/ Gneral Knowledge — Up to four percent marks	
(ii) Personality assessment — Up to three percent marks	
(iii) Power of Expression — Up to three percent marks	
NOTE:—The total marks obtained by a candidate at the interview shall be determined by calculating the average of marks awarded to him by the Chairman and all the Members of the Selection Committee separately.	
(c) The Chairman and Members of the Selection Committee shall, in no case, be provided any information with regard to marks obtained by candidates under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (3) at the time of interview.	(c) Marks to a retrenched employee shall be awarded in the following manner subject to the maximum of fifteen percent marks of the total marks fixed for test for selection.
	(i) For the first completed year of service — 5 marks
	(ii) For the next and every completed year of service — 5 marks for each year

COLUMN 1	COLUMN 2
Existing rule	*Rule as hereby substituted*
	(d) Marks to a sportsman shall be awarded in the following manner subject to the maximum of five percent marks of the total marks fixed for test for selection: (i) If the candidate is a sportsman of International level — 5 marks (ii) If the candidate is a sportsman of National level — 4 marks (iii) If the candidate is a sportsman of State level — 3 marks (iv) If the candidate is a sportsman of University/College/ School level — 2 marks
	(e) In the case of candidates to be selected for any post for which typewriting or shorthand and typewriting has been prescribed as an essential qualification, there shall be a test of typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be. Twenty percent of the percentage of marks obtained in the said test shall be given only to those candidates who have attained minimum speed, prescribed for typewriting or shorthand and typewriting, as the case may be. The number of candidates to be called for typewriting test or shorthand and typewriting test, as the case may be, shall be four times the number of the vacancies. For this purpose the merit list of candidates shall, having regard to the provisions of reservation referred to in rule 4, be made separately on the basis of marks obtained by them under clauses (a), (b), (c) and (d).
(5) The marks obtained by each candidate at the interview under sub-rule (4) shall be added to the marks obtained under sub-rule (3). The final select list shall be prepared on the basis of aggregate of marks so	(5) (a) After the results of the written examination and other evaluations under clauses (a), (b), (c), (d) and (e) of sub-rule (4) have been received and tabulated, the Selection Committee shall, having